हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम

-परमेश्वर लाल पोद्दार

भारत सरकार ने हस्तशिल्प क्षेत्र की बाधाओं को गंभीरता से समाप्त करने का प्रयास किया है और इस क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम चलाया है। हस्तशिल्प हमारी अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मुख्य रूप से एक ग्रामीण आधारित क्रियाकलाप है जिसकी पहुँच पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों में भी है।

हस्तशिल्प हमारी अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मुख्य रूप से एक ग्रामीण आधारित क्रियाकलाप है जिसकी पहुँच पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों में भी है। मूल रूप से, हस्तशिल्प ग्रामीण क्षेत्रों में एक अंशकालिक गतिविधि के रूप में शुरू हुआ था, हालांकि यह वर्षों से बाजार की महत्वपूर्ण मांग के कारण अब एक समृद्ध आर्थिक गतिविधि में बदल गया है। हस्तशिल्प न केवल लाखों कारीगरों को मौजूदा समय में रोज़गार उपलब्ध करवा रहा है, बल्कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में नए लोगों के लिए भी संभावना है। हस्तशिल्प से वर्तमान में लगभग 70 लाख कारीगर जुड़े हुए हैं जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और कमज़ोर वर्ग के लोग सम्मिलित हैं। हस्तशिल्प क्षेत्र रोज़गार सृजन के अलावा निर्यात में भी काफी योगदान दे रहा है। अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए यह देश के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करता है (चित्र-1)। इस क्षेत्र को अपनी असंगठित प्रकृति के साथ-साथ अतिरिक्त बाधाओं जैसे जागरूकता की कमी, पूंजी और नई तकनीक तक खराब पहुँच, बाज़ार की जानकारी की कमी और खराब संस्थागत ढांचे के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत में बड़ी संख्या में कारीगर उपलब्ध होने के बावजूद विश्व निर्यात में भागीदारी कम है। हस्तशिल्प क्षेत्र में संभावित छुपे हुये अवसरों की अब भी तलाश की जा रही है।

भारत सरकार ने हस्तशिल्प क्षेत्र की बाधाओं को गंभीरता

लेखक ग्रामीण विकास और बैंकिंग मामलों के विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में नाबार्ड के पुनर्वित्त विभाग, प्रधान कार्यालय, मुंबई में कार्यरत हैं।
ई-मेल : poddarparmeshwar@gmail.com

से समाप्त करने का प्रयास किया है और इस क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम चलाया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास हेतु निमन्वत सहयोग दिया जा रहा है:-

विपणन समर्थन और सेवाएं

हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास में विपणन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश भर के कारीगरों को व्यापार विकास और आय सृजन के पर्याप्त अवसर प्रदान करने वाले विभिन्न विपणन मंच प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। भारत एक विशाल देश है और घरेलू बाज़ार अपने आप में हस्तशिल्प वस्तुओं के लिए एक अत्यधिक संभावित बाज़ार है। यह दुनिया की सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्था है, हालांकि दुनिया के निर्यात आंकड़ों में इसका योगदान बहुत कम है। विपणन समर्थन कार्यक्रम के माध्यम से हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री और निर्यात के आंकड़ों को बढ़ाया जाएगा। भारत के हस्तशिल्प क्षेत्र हेतु घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाज़ारों पर ध्यान दिया जा रहा है। विभिन्न प्रदर्शनियों और मेलों, लाइव प्रदर्शनों, क्रेता-विक्रेता मीट, ब्रांड प्रचार कार्यक्रमों, सेमिनारों, मेलों, विशिष्ट बाज़ार निर्माण आदि पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ कारीगरों को संवेदनशील बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों और पैकेजिंग, नैतिक और पर्यावरण आश्वासन आदि पर संगोष्ठी और कार्यशालाओं के माध्यम से निर्यातकों को जागरूक किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार और फैशन प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने और समझने के लिए फैशन शो/स्टैंडअलोन शो भी आयोजित किए जा रहे हैं ताकि कारीगर बड़े स्तर के मंचों का पूरी तरह से लाभ उठा सकें।

हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार व ब्रांड बनाने हेतु प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार हेतु सहयोग दिया जा रहा है। इसके अलावा डिजिटल विपणन, वर्चुअल मंच पर मेले/प्रदर्शनी/कार्यक्रम हेतु भी सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रम

हस्तशिल्प अपने सौंदर्यशास्त्र, संबद्ध पारंपरिक मूल्यों, विशिष्टता, गुणवत्ता और शिल्प कौशल के लिए जाने जाते हैं। पारंपरिक ज्ञान और शिल्प अभ्यास आमतौर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राकृतिक शिक्षा के माध्यम से हस्तांतरित किए जाते हैं। हालांकि, नए उपकरणों और प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ, शिल्प सीखने की प्रक्रिया नाटकीय रूप से बदल गई है। मानकीकृत उत्पादन प्रक्रियाएं, कुशल जनशक्ति, हस्तकला उत्पादों के लिए डिज़ाइन डेटाबेस, त्वरित और कुशल प्रोटोटाइप, संचार कौशल और अन्य सॉफ्ट स्किल्स हमेशा बदलते हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं बन गए हैं। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उप-योजना 'हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल विकास' की संकल्पना की गई है और इसके निम्नलिखित चार घटक हैं:

डिज़ाइन और प्रौद्योगिकी विकास कार्यशाला

यह बाज़ार की वर्तमान डिज़ाइन आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य कारीगरों के मौजूदा कौशल का उपयोग करके हस्तशिल्प क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार नए डिजाइन/प्रोटोटाइप विकसित करना है।

गुरु-शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस योजना का उद्देश्य कौशल अंतर को पाटने और बाज़ार की मांग को पूरा करने के लिए पारंपरिक शिल्प ज्ञान

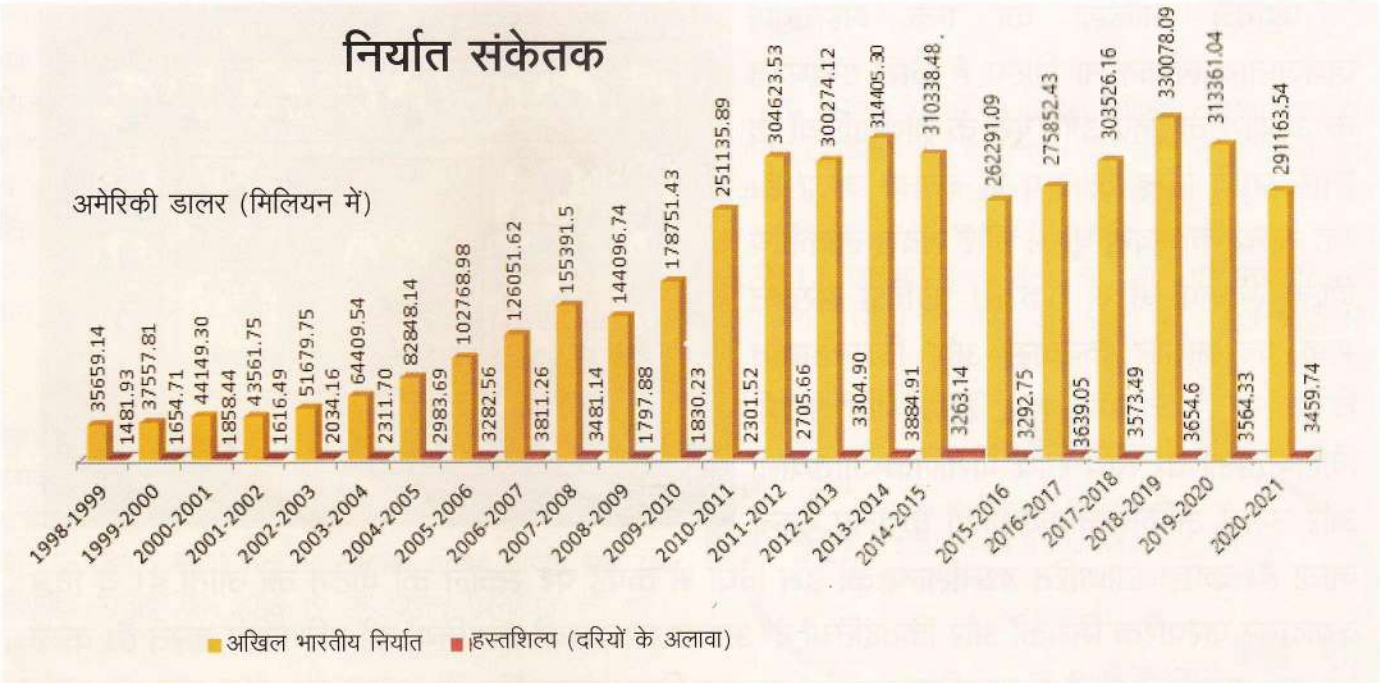

(स्रोतः विकास आयुक्त कार्यालय (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार)

को मास्टर शिल्पकार (गुरु) से नई पीढ़ी के कारीगर (शिष्य) तक स्थानांतरित करना है। इसमें तकनीकी और सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण प्रदान करके हस्तशिल्प क्षेत्र में एक प्रशिक्षित कार्यबल तैयार किया जा रहा है।

व्यापक कौशल उन्नयन कार्यक्रम

योजना का उद्देश्य कौशल अंतराल को पाटने, हस्तशिल्प क्षेत्र में पारंपरिक शिल्प की सदियों पुरानी प्रथा को पुनर्जीवित करने और राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के आधार पर मांग आधारित और स्वरोज़गार उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्योग के प्रयासों को पूरक बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चिह्नित संस्थानों में औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कारीगरों के कौशल उन्नयन, डिज़ाइन, नवाचार और सॉफ्ट कौशल में व्यापक विकास करना है।

बेहतर टूलकिट वितरण कार्यक्रम

'बेहतर टूलकिट' और 'कुशल हाथ' हस्तकला के दो रत्न हैं जो कारीगरों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। बेहतर टूलकिट उत्पाद की गुणवत्ता और कारीगर की उत्पादकता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा, वे बड़े पैमाने पर समान गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन में हस्तशिल्प कारीगरों की सहायता करते हैं। अत्यधिक प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प बाज़ार में अस्तित्व के लिए उत्पादन का स्केल-अप और गुणवत्ता की एकरूपता प्रमुख तत्व हैं। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिल्पकारों के बीच बेहतर टूलकिट वितरण का प्रावधान किया गया है।

अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना

अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना एक क्लस्टर विशिष्ट योजना है। इस योजना में कारीगरों के सतत विकास के लिए आवश्यकता आधारित क्लस्टर विशिष्ट दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है। हस्तशिल्प समूहों की भौगोलिक पहचान में तीन किलोमीटर के दायरे या व्यास के भीतर कुछ गाँव या नगरपालिका क्षेत्र शामिल हैं। शिल्प समूहों में कारीगर एकल शिल्प या एकाधिक शिल्प के उत्पादों का निर्माण कर सकते हैं। पहचान किए गए क्लस्टर को पाँच साल की अवधि के लिए वित्तीय, तकनीकी और सामाजिक हस्तक्षेप के रूप में समर्थन दिया जाएगा। वर्तमान में, हस्तशिल्प क्षेत्र रोज़गार सृजन और निर्यात की दिशा में काफी योगदान दे रहा है, लेकिन इस क्षेत्र को अपनी असंगठित प्रकृति के साथ-साथ शिक्षा की कमी, पूंजी और नई तकनीकों के लिए खराब जोखिम, बाज़ार की जानकारी की कमी और खराब संस्थागत ढांचे के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए, केंद्रीय योजना के रूप में अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई) 2001-02 में शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक सशक्तीकरण के माध्यम से शिल्प समूहों को उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में विकसित करना और पूरे देश में हस्तशिल्प कारीगरों का सतत विकास, सामाजिक उत्थान सुनिश्चित करना है। यह योजना क्लस्टर कारीगरों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। यह योजना रोज़गार सृजन, तकनीकी उन्नयन, डिज़ाइन

पट्टचित्र

पट्टचित्र ओडिशा का एक महत्वपूर्ण जनजातीय लोककला शिल्प है जिसे अनुष्ठान के उपयोग के लिए और पुरी के तीर्थयात्रियों के लिए स्मृति चिन्ह के रूप में बनाया जाता है। यह राज्य के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय शिल्प स्वरूपों में से एक है। पट्टचित्र संस्कृत शब्द पट्ट अर्थात् कैनवास और चित्र अर्थात् चित्रकला से व्युत्पन्न हुआ है जो कि अपनी विशिष्टताओं के साथ-साथ पौराणिक आख्यानों और उसमें अंकित लोककथाओं के लिए जाना जाता है। कपड़ा आधारित हस्तशिल्प की इस विधा में कपड़े पर स्क्रॉल की पेंटिंग की जाती है। ये चित्र ज्यादातर पारंपरिक मिथकों और किंवदंतियों के आधार पर उनकी कहानियों को परिभाषित करते हैं। कला की इस पारंपरिक शैली में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है।

इनपुट के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता, विपणन समर्थन कार्यक्रम, ब्रांड प्रचार, संसाधन जुटाना और अन्य आवश्यकता आधारित गतिविधियों को सुनिश्चित करेगी।

कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ

शिल्पकारों को बेहतर जीवनयापन, आसान ऋण तक पहुँच और उनके हुनर को सम्मानित करने हेतु भी कई प्रयास किए गए हैं। इसके तहत निमन्वत कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं:-

वृद्धावस्था में कारीगरों को सहायता

यह योजना कारीगरों को उनके बुढ़ापे के दौरान समर्थन देने के लिए प्रस्तावित है। यह योजना भारत में हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु लागू की गई है। इस योजना हेतु मास्टर शिल्पकार जो शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार या योग्यता प्रमाणपत्र या राज्य पुरस्कार प्राप्त करते हैं और हस्तशिल्प में असाधारण शिल्प कौशल के कारीगर वित्तीय सहायता के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे। इसके अंतर्गत, सरकार से अधिकतम 5,000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) प्रति माह के मासिक भत्ते का प्रावधान है।

ब्याज अनुदान व मार्जिन मनी की सुविधा

इस योजना के माध्यम से हस्तशिल्प कारीगरों के लिए ब्याज अनुदान के साथ बैंक ऋण सुविधा का प्रावधान है। इसके अंतर्गत सभी अनुसूचित बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से मुद्रा ऋण प्राप्त करने वाले कारीगरों के लिए 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध होगा। मार्जिन मनी की सहायता वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्रस्तावित की गई। कारीगरों को रियायती ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मुद्रा ऋण प्राप्त करने वाले कारीगरों को मार्जिन मनी प्रदान की जाएगी। हस्तशिल्प कारीगरों को मुद्रा ऋण के तहत स्वीकृत राशि का 20% अनुदान उनके ऋण खाते में एकमुश्त अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा, जो 20,000/- रुपये से अधिक नहीं होगा।

हस्तशिल्प कारीगरों के लिए बीमा योजना

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और आम आदमी बीमा योजना का उद्देश्य हस्तशिल्प कारीगरों को जीवन बीमा कवर प्रदान करना है। शिल्पकार समय-समय पर निर्धारित शर्तों के अधीन योजनाओं का लाभ लेने के पात्र होंगे।

हस्तशिल्प पुरस्कार

इस योजना के तहत, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास और उसे बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट मास्टर शिल्पकारों को उनके योगदान को मान्यता देने हेतु हस्तशिल्प क्षेत्र में सर्वोच्च हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान करता है। जीवन में एक बार प्रदान किया जाने वाला यह पुरस्कार उन्हें हमारी पुरानी शिल्प परंपराओं और शिल्प कौशल में उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार यह योजना कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रदान करती है।

> एक देश भौतिक और बौद्धिक दोनों ही दृष्टियों से धन में दरिद्र बना रहता है, यदि वह अपने हस्तशिल्प और अपने उद्योगों का विकास नहीं करता है।
>
> -महात्मा गाँधी

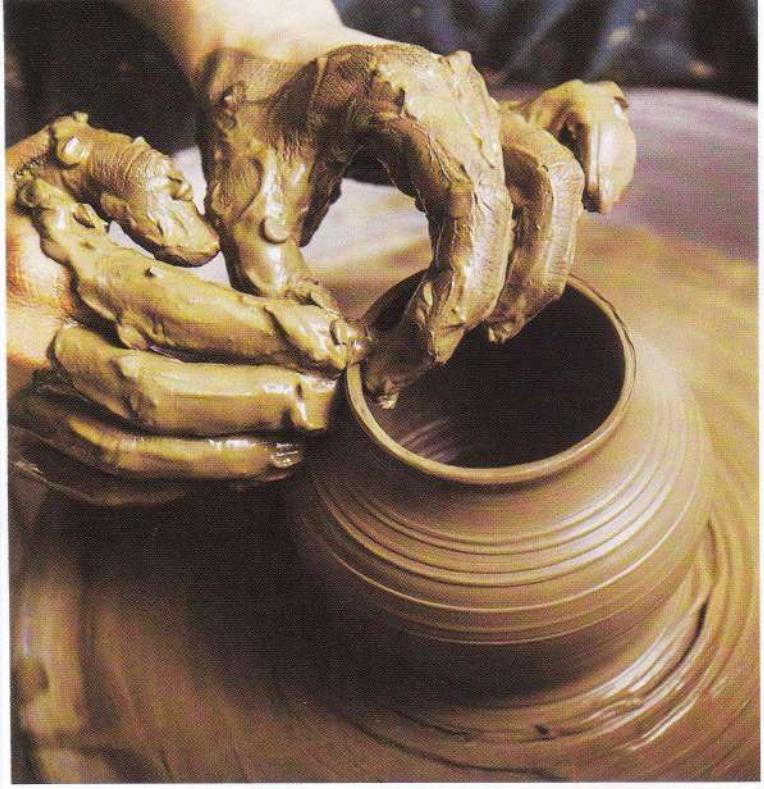

शिल्प गुरु पुरस्कार और रष्ट्रीय पुरस्कार दो श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं।

बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी समर्थन

हस्तशिल्प क्षेत्र की प्रमुख बाधाओं में बुनियादी संरचना और नई प्रौद्योगिकी की कमी भी शामिल है। इस कमी को दूर करने हेतु निम्नवत सहयोग दिया जा रहा है:-

शहरी हाट की स्थापना

इसका उद्देश्य हस्तशिल्प कारीगरों/हथकरघा बुनकरों को प्रत्यक्ष विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए कस्बों/महानगरीय शहरों में एक स्थायी विपणन अवसंरचना स्थापित करना है। यह उन्हें अपने उत्पादों को व्यापक लक्षित दर्शकों /ग्राहक वर्ग को साल भर बेचने में सक्षम करेगा।

एम्पोरिया

इसके तहत एम्पोरिया की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इन्हें कार्यान्वयन एजेंसियों के अपने/किराए के भवन में व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य स्थानों में स्थापित किया जाएगा। इसका मूल उद्देश्य स्थानीय हस्तशिल्प कारीगरों को उनके क्षेत्र में विपणन मंच प्रदान करना है

मार्केटिंग और सोर्सिंग हब

'वन स्टॉप शॉपिंग' की अवधारणा पर व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य शहरों/कस्बों आदि में हस्तशिल्प के लिए मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स (हब) स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह थोक विक्रेताओं/खुदरा विक्रेताओं/उपभोक्ताओं और विदेशी खरीदारों को हस्तशिल्प उत्पादों की पूरी श्रृंखला का प्रदर्शन करके संभावित लक्ष्य खंड तक पहुँचने के लिए एक विपणन मंच प्रदान करेगा।

हस्तशिल्प संग्रहालय

हस्तशिल्प संग्रहालय का उद्देश्य एक ऐसा मंच स्थापित करना है जिसके माध्यम से भारत की पारंपरिक कला और शिल्प को कलाकारों, विद्वानों, डिज़ाइनरों और शिल्प प्रेमियों के बीच लोकप्रिय बनाया जा सके। संग्रहालय का प्राथमिक उद्देश्य शिल्प कौशल और डिज़ाइन या इसके कार्यात्मक पहलुओं में वैचारिक नवाचारों में उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली वस्तुओं को इकट्ठा करना और संरक्षित करना है। आई.ए. शिल्प/उत्पादों की विस्तृत वैचारिक और ऐतिहासिक जानकारी सहित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी इसे लोकप्रिय बनाएगा।

शिल्प आधारित संसाधन केंद्र

इस केंद्र का उद्देश्य व्यापक हैंडहोल्डिंग के लिए पहचाने गए शिल्प में एकल खिड़की समाधान प्रदान करने के लिए एक संस्थागत तंत्र तैयार करना है। इस केंद्र का लक्ष्य हस्तशिल्प के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करना तथा प्रशिक्षण की सहायता से लुप्तप्राय शिल्पों को पुनर्जीवित करना तथा हस्तशिल्प की निरंतर प्रगति के लिए पारंपरिक एवं गैर-पारंपरिक शिल्पकारों को अधिक से अधिक रोज़गार के अवसर प्रदान करना है। यह केंद्र कच्चे माल की उपलब्धता, आवश्यक प्रौद्योगिकी, कुशल मानव संसाधन और क्लस्टर का विवरण भी प्रदान करेंगे जहां से इन नवीन उत्पादों को प्राप्त/उत्पादित किया जा सकता है। यहाँ कारीगरों और उद्यमियों को तकनीकी और तकनीकी सहायता, विपणन सूचना, उद्यम विकास, सूक्ष्म वित्त गतिविधि, उत्पाद की जानकारी आदि दी जाती है।

सामान्य सुविधा केंद्र

सामान्य सुविधा केंद्र का उद्देश्य पैमाने की अर्थव्यवस्था, मूल्य प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता नियंत्रण, निरंतर आधार पर डिज़ाइन और प्रौद्योगिकी इनपुट का अनुप्रयोग, उत्पाद विविधीकरण का दायरा और उच्च इकाई मूल्य प्राप्ति और विश्व व्यापार संगठन के संगत मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। इस तरह की एक सामान्य सुविधा से उत्पादन लागत में महत्वपूर्ण कमी आएगी, उच्च मूल्य वाले उत्पादों की विविध श्रेणी का उत्पादन, नमूना विकास, ऑर्डर निष्पादन में प्रतिक्रिया समय में कमी और अंतिम उत्पादों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित होगी।

कच्चा माल डिपो

इसका उद्देश्य कारीगरों/उद्यमियों को उचित दर पर गुणवत्तापूर्ण, प्रमाणित और श्रेणीकृत कच्चा माल आसानी से उपलब्ध कराना है।

निर्यातकों/उद्यमियों को प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता

इसका उद्देश्य निर्यातकों/उद्यमियों को तकनीकी उन्नयन सुविधा प्रदान करना है। सुविधा केंद्र उत्पाद, उत्पादकता, गुणवत्ता आदि का समर्थन करने के लिए पैकेजिंग मशीनरी सहित आधुनिक मशीनरी के साथ एक बुनियादी ढांचा होना चाहिए।

परीक्षण प्रयोगशाला

मशीनरी और उपकरण, सपोर्ट फिक्सचर और फर्नीचर, कच्चा माल प्रसंस्करण अनुभाग, निरीक्षण अनुभाग, पैकेजिंग और वेयरहाउसिंग अनुभाग, ज्ञान साझा करने और भविष्य के संदर्भ आदि के लिए मास्टर रूम सहित रखरखाव अनुभाग के प्रावधान के साथ परीक्षण प्रयोगशाला पर्याप्त और पर्याप्त स्थानों में बनाई जाएगी।

शिल्पग्राम

क्राफ्ट विलेज एक आधुनिक समय की अवधारणा है जिसमें शिल्प को बढ़ावा देने और पर्यटन को एक ही स्थान पर लिया जा रहा है। कारीगर एक ही स्थान पर रहते और काम करते हैं और उन्हें अपने उत्पादों को बेचने के लिए अवसर भी प्रदान किया जाता है जिससे आजीविका सुनिश्चित हो सके। शिल्प वस्तुओं का प्रदर्शन और बिक्री यहां की जाती है। इसके अंतर्गत मौजूदा गाँवों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, जहां समान शिल्प का अभ्यास करने वाले शिल्पकार पर्याप्त संख्या में रहते हैं और नए गाँवों की स्थापना भी की जाएगी जहां शिल्पकारों का पुनर्वास किया जा सकता है। इसका उद्देश्य उन गाँवों का चयन करना होगा जिन्हें उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए किसी पर्यटन सर्किट से जोड़ा जा सकता है। इसके तहत बुनियादी ढांचे के सुधार/निर्माण के लिए धन मुहैया कराया जाएगा जिसमें सड़कें, कारीगरों के घर और उनके वर्कशेड क्षेत्र, सीवरेज, पानी, स्ट्रीट लाइट, फुटपाथ, दुकानें और प्रदर्शन क्षेत्र शामिल होंगे। इन्हें कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाएगा और शिल्पकारों को नए वर्कशेड और प्रदर्शन क्षेत्रों के साथ पुनर्वासित किया जाएगा। प्रदर्शन क्षेत्र स्टॉल के रूप में होंगे जहां कारीगर अपना उत्पाद बेच सकेंगे।

अनुसंधान एवं विकास

किसी भी कला के विकास हेतु समय-समय पर अनुसंधान किया जाना आवश्यक है, अन्यथा उसकी लोकप्रियता समाप्त हो जाती है, परिणामस्वरूप बाज़ार में उसकी मांग खत्म हो जाती है। हस्तशिल्प क्षेत्र को वर्तमान समय में प्रासंगिक बनाए रखने और इसके विकास हेतु अनुसंधान किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत, नियोजन उद्देश्यों के लिए उपयुक्त इनपुट उत्पन्न करने के लिए सर्वेक्षण और अध्ययन प्रायोजित/आयोजित किए जाते हैं। साथ ही, हस्तशिल्प क्षेत्र में नवीनतम विकास पर कारीगरों को जागरूक करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में कार्यशाला, संगोष्ठी, सम्मेलन, रेडियो कार्यक्रम आदि आयोजित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत विशिष्ट शिल्प का सर्वेक्षण/अध्ययन और शिल्प समूहों और विशिष्ट शिल्प पॉकेट, वर्तमान बाज़ार प्रवृत्ति और स्थिति, मौजूदा निर्यात और भविष्य के निर्यात आदि पर डेटा बेस का मानचित्रण और प्रलेखन, कच्चे माल, प्रौद्योगिकी, डिजाइन, सामान्य सुविधाओं आदि की उपलब्धता से संबंधित समस्या, लुप्तप्राय शिल्प, डिजाइन, विरासत और पारंपरिक ज्ञान सहित शिल्प की रक्षा के लिए एक तंत्र विकसित करने के लिए संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

दरी की बुनाई

दरी एक ऐसा वस्त्र उत्पाद है जिसे जमीन पर बिछाया जाता है। यह बैठने और सजावटी उपयोग दोनों ही काम में लाया जाता है। दरी एक उत्कृष्ट ग्रामीण और पारंपरिक हस्तशिल्प है।मध्य प्रदेश में बनाई जाने वाली दरी राज्य द्वारा उत्पादित दो कालीन किस्मों में से एक होती है। ये मोटे सूती कालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय हस्तशिल्प में से एक हैं। ये पंजा नामक एक तकनीक द्वारा बुने जाते हैं। ये जीवंत रंगों, बोल्ड पैटर्न, पक्षियों और जानवरों के रूपांकनों तथा ज्यामितीय बुनाई सहित लोक डिजाइनों में निर्मित किये जाते हैं।

बजट 2023-24 में हस्तशिल्प विकास हेतु की गई घोषणा

बजट में नव-परिकल्पित प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम-विकास) योजना की घोषणा की गई है जो देश के कारीगरों को उनके उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुँच में सुधार करने में सक्षम बनाएगी, उन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के उद्यमों (एमएसएमई) की मूल्य शृंखला के साथ एकीकृत किया जाएगा। इस योजना में न केवल वित्तीय सहायता शामिल होगी बल्कि उन्नत कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक ज्ञान तक पहुँच, डिजिटल तकनीक और कुशल हरित प्रौद्योगिकियाँ, ब्रांड प्रौन्नति, स्थानीय और वैश्विक बाज़ारों के साथ जुड़ाव, डिजिटल भुगतान और सामाजिक सुरक्षा को भी सम्मिलित किया गया है। इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, महिलाएं और कमज़ोर वर्ग के लोगों को काफी लाभ होगा।

बजट में यूनिटी मॉल की घोषणा की गई है। राज्यों को उनके स्वयं के ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद), जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए और शेष राज्यों के ऐसे उत्पादों को स्थान उपलब्ध करवाने के लिए अपनी-अपनी राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र पर या उनकी वित्तीय राजधानी में एक यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ❑